

* अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

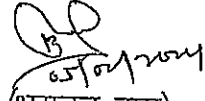
कार्य प्रमंडल, मनिहारी के अधीन शीर्ष PMGSY योजनान्तर्गत HL. R.C.C Bridge L045 Dilarpur Hari Chowk To Sahpur at Local River (Pkg No-BR-16R-392) का कार्य ससमय पूर्ण नहीं किये जाने की सूचना इस कार्यालय को प्रदान करते हुए संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा संवेदक **Basant Kumar**, (निबंधन सं०-1200332), को विभागीय डिफॉल्टर सूची में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गयी थी, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-2132 अनु० दिनांक-18.04.2023 द्वारा निर्गत डिफॉल्टर सूची के क्रमांक-56 पर उक्त संवेदक का नाम सम्मिलित करते हुए उन्हें आगामी निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया गया था।

उक्त आदेश के आलोक में एक संवेदक **Basant Kumar** द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद संख्या-CWJC 10134/2023 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-21.08.2023 को इस संबंध में आदेश पारित किया गया, जिसका Operative part निम्नवत् है:-

Accordingly, the writ petition allowed in-part, reserving liberty to the concerned authority to proceed further in accordance with law. The concerned authority is hereby directed to take note of judicial pronouncement like UMC Technologies Pvt. Ltd. Vs. Food corporation of India and Anr., reported in (2021) 2 SCC 551 and later decision in the case of Isolators and Isolators Its Proprietor Mrs. Sandhya Mishra vs. Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitran Co. Ltd. And anr., reported in 2023 LiveLaw (SC) 330 (Para-34) and principles laid down therein before proceeding further in the matter. The above exercise shall be completed within a period of three months from the date of receipt/production of a copy this.

It is clarified that interim order dated-24.07.2023, insofar as staying of the impugned order dated-18.04.2023 vide Annexure-10, merges with the present order in the light of Apex Court decision in the case of Kalabharati Advertising vs Hemant Vimalnath Narichania & Ors reported in (2010) 9 SCC 437.

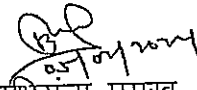
माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC 10134/2023 में दिनांक-21.08.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता संवेदक **Basant Kumar**, पता-ग्राम+पो०+थाना-नौहट्टा, जिला-रोहतास, बिहार, पिन-821304 के (निबंधन सं०-1200332), को विभागीय पत्रांक-2132 अनु० दिनांक-18.04.2023 द्वारा संबंधी आदेश को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।


(भगवत राम)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-मु0अ0-4(मु0) डिबार-08-141/2022 - 626

/पटना, दिनांक:-06/2/24

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-मु0अ0-4(मु0) डिबार-08-141/2022 - 626

/पटना, दिनांक:-06/2/24

प्रतिलिपि:-सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-मु0अ0-4(मु0) डिबार-08-141/2021 - 626

/पटना, दिनांक:-06/02/24

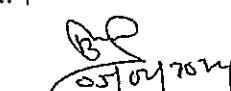
✓ प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-मु0अ0-4(मु0) डिबार-08-141/2023 - 626

/पटना, दिनांक:-06/02/2024

प्रतिलिपि:- संवेदक **Basant Kumar**, (निबंधन सं0- 1200332), पता-ग्राम+ पो0+ थाना- नौहट्टा, जिला-रोहतास, बिहार, पिन-821304 को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख